पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (राज.)

वेबसाईट : www.shekhauni.ac.in ई–मेल : reg.shekhauni@gmail.com

क्रमांक–प 98( )लेखा / खुली निविदा / 2020–21 / 18460 दिनांकः– 16/03/2021

ई–निविदा सूचना 06 / 2020–21

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर के परिक्षेत्र सीकर एवं झुंझुनूं जिलों में परीक्षा, 2021 संबंधी सामग्री की आपूर्ति एवं संग्रहण तथा अन्य कार्य हेतु वाहन उपलब्ध कराने हेतु पंजीकृत ट्रेवल फर्मों / संस्थाओं / वाहन आपरेटरों / वाहन ठेकेदारों से शर्त रहित दर संविदा करने हेतु ऑनलाईन ई–निविदा आमंत्रित की जाती हैः–

क्र.सं.	वाहन का प्रकार	विवरण	अनुमानित व्यय	निविदा शुल्क	बिड़ सिक्यूरिटी राशि	ई–टेण्डर प्रोसेसिंग फीस	बिड की वैधता अवधि
1	मिनी बस	सीकर एवं झुन्झुनूं जिले के लिए परीक्षा सामग्री आपूर्ति हेतु वाहनों की आवश्यकता है जो दस वर्ष से पुराना नहीं हो एवं किसी प्रकार की कोई खराबी न हो।	30,00,000 / –	1000 / –	90000 / –	500 / –	90 / –
2	टेम्पो ट्रेक्स / क्रूजर / बंद बॉडी पिकअप	सीकर एवं झुन्झुनूं जिले के लिए परीक्षा सामग्री आपूर्ति हेतु वाहनों की आवश्यकता है जो दस वर्ष से पुराना नहीं हो एवं किसी प्रकार की कोई खराबी न हो।	10,00,000 / –				
3	इनोवा / स्विफ्ट डिजायर / स्कार्पियों / बोलेरो / इंडिगों आदि समस्त गाड़िया एसी सहित	सीकर एवं झुन्झुनूं जिले के लिए परीक्षा 2021, उड़नदस्ता एवं कार्यालय उपयोग हेतु वाहनों की आवश्यकता है जो पांच वर्ष से पुराना नहीं हो एवं किसी प्रकार की कोई खराबी न हो।	5,00,000 / –				
	कुल		4500000	1000	90000	500	90

- ई–निविदा केवल ऑनलाइन प्रस्तुत की जावेगी। ऑफलाइन प्रस्तुत निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
- ऑनलाइन बिड दिनांक 17.03.2021 से दिनांक 26.03.2021 समय 3.00 PM तक UPLOAD की जा सकेगी। इसके पश्चात प्राप्त बिड पर विचार नहीं किया जावेगा।
- तकनीकी बिड दिनांक 27.03.2021. समय 3.00 PM को खोली जावेगी।
- निविदा शुल्क एवं बिड सिक्यूरिटी की राशि बैंकर्स चैक / बैंक ड्राफ्ट द्वारा कुलसचिव पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर के नाम देय होगी।
- ई--ट्रेण्डर प्रोसेसिंग फीस एम.डी. आर.आई.एस.एल. जयपुर के नाम देय हो का, बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना होगा।
- निविदा शुल्क, बिड सिक्यूरिटी राशि एवं ई–टेण्डर प्रोसेसिंग फीस का डी.डी. / बैकर्स चैंक दिनांक 26.03.2021 समय 5.00 PM तक व्यक्तिगत रूप से / रजिस्ट्रर्ड डाक द्वारा विश्वविद्यालय में जमा कराना होगा। अन्यथा ई–निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
- तकनीकी निविदा में सफल निविदादाता की ही वित्तिय बिड खोले जाने की दिनांक से सूचित कर दिया जावेगा।
- निविदा शुल्क की राशि वापस नहीं लौटायी जावेगी।

➢ निविदा का पूर्ण प्रारूप, निविदा की शर्तें http://sppp.raj.nic.in , http://eproc.rajasthan.gov.in एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.shekhauni.ac.in पर देखी जा सकती है।
➢ निविदादाता को निविदा के प्रारूप के समस्त पृष्ठों पर डिजीटल हस्ताक्षर करने होगें।
➢ निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करनें का पूर्ण अधिकार कुलपति पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।

ई–निविदा भरने हेतु निविदादाता के लिये निर्देश

(1.) निविदा के साथ धरोहर राशि, 1000 रू. निविदा शुल्क व 500 रू. (MD RISL JAIPUR को देय) के डी.डी. भौतिक रूप से विश्वविद्यालय में निर्धारित समय तक मूल रूप से प्रस्तुत करने होंगे।

(2.) एस.एस.आई. से पंजीकृत फर्मो को धरोहर राशि 1/2 प्रतिशत एवं प्रतिभूति राशि 1 प्रतिशत नियमानुसार जमा करानी होगी। यह छूट तभी देय हागी जब निर्देशक, उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के तत्संबंधी कार्य के पंजीकरण आदि का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावेगा।किसी भी प्रकार का विवाद होने पर **समस्त कानूनी कार्यवाही किसी भी पक्ष द्वारा किये जाने की स्थिति में सीकर स्थित** सक्षम **न्यायालय में ही प्रारम्भ करनी होगी, अन्य न्यायालय पर नहीं।** समस्त विधि वाद की जिम्मेदारी संबंधित निविदादाता की होगी। **इस निविदा एवं अनुबंध के संबंध में अन्य शर्तें एवं नियम, जिनका उल्लेख उपर नहीं किया गया है, राजस्थान सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों** एवं Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules,2013 **के प्रावधानों के अनुसार होगी।**

(3.) निविदा ई–प्रोक्योरमेंट साइट से डाउनलोड करके, हस्ताक्षर करके मय आवश्यक प्रपत्रों के स्कैन कॉपी स्कैन करके ई–प्रोक्योरमेंट साइट पर उपलब्ध करवानी होगी व वितिय बिड इसी साइट उपलब्ध वितिय बिड शीट में ऑनलाइन अंकित करनी होगी। वित्तीय बिड को स्कैन करके अपलोड नहीं किया जाना **है।**

(4.) इन निविदाओं में भाग लेने के इच्छूक निविदादाता निविदा–प्रपत्रों को वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in से डाउन लोड कर सकते है।

(5.) निविदाओं में भाग लेने वाले निविदादाताओं को वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर रजिस्टर करवाना होगा। ऑनलाईन निविदा में भाग लेने के लिये डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (डीएससी) इनफोरमेशन टेक्नोलोजी एक्ट–2000 के तहत प्राप्त करना होगा जो इलेक्ट्रोनिक निविदा में साईन करने हेतु काम आयेगा। निविदादाता उपरोक्त डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट सी.सी.ए. द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से प्राप्त कर सकते है। जिन निविदादाताओं के पास पूर्व में वैध डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है, नया लेने की आवश्यकता नहीं है।

(6.) निविदादाताओं को निविदा प्रपत्र इलैक्ट्रोनिक फारमेट में उपरोक्त वेब साईट पर डिजिटल साइन के साथ प्रस्तुत कराना होगा। जिनके प्रस्ताव डिजिटल साईन के साथ नहीं होंगे, उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेंगे। कोई भी प्रस्ताव भौतिक फॉर्म में स्वीकार्य नहीं होगा।

(7.) इलैक्ट्रोनिक निविदा प्रपत्रों को जमा कराने से पूर्व निविदादाता यह सुनिश्चित कर लेवे कि निविदा प्रपत्रों से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी निविदा प्रपत्रों के साथ अटैच कर दी गई है।

(8.) कोई भी टेण्डर इलैक्ट्रोनिकली जमा कराने में किसी कारण से लेट हो जाता है तो उसका जिम्मेदार विभाग नहीं होगा।

उपरोक्तानुसार किराये पर वाहन उपलब्ध करवाये जाने के लिए ई– निविदा की शर्ते संलग्न है।

कुलसचिव

क्रमांक–प 98( )लेखा/खुली निविदा/2020–21/ 18460 दिनांकः 16/03/2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ :–

1. कुलपति सचिवालय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
2. कार्यालय जिला कलक्टर, सीकर नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
3. कार्यालय नगर परिषद, सीकर नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
4. पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
5. श्रीमती मन्जु कुमारी, सूचना सहायक को State Public Procurement portal पर उक्त निविदा को अपलोड करने हेतु।

कुलसचिव

PANDIT DEENDAYAL UPADHYAYA SHEKHAWATI UNIVERSITY, SIKAR (RAJ.)

E- TENDER DOCUMENT–6/2020-21

FOR

PROVIDING AND SUPPLY OF VEHICLES FOR EXAM 2021 AND OTHER PURPOSES

Mode of Bid Submission	: On line (E-Tender)
Procuring Entity	: Pandit Deendayal Upadhyaya Shekhawati University, Sikar 332034
Last date & time of On-line submission of Technical Bid	26.03.2021 upto 03.00 PM
Date & Time of opening of On-Line Technical. Bid	27.03.2021 Upto 03:00 PM

-Cost of E-Tender Document and fee in favour of Registrar, Pandit Deendayal Upadhyaya Shekhawati University, Sikar Rs. 1000/-

-E-Tender Processing Fee in favour of MD, RISL, Jaipur Rs. 500/-

Registrar
Pandit Deendayal Upadhyaya
Shekhawati University, Sikar

Name & Signature of Bidder with Seal

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (राज.)

वेबसाईट : www.shekhauni.ac.in ई–मेल : reg.shekhauni@gmail.com

क्रमांक–प 98( )लेखा/खुली निविदा/2020–21/ दिनांकः–

(तकनीकी बिड)

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर में वाहनों की आपूर्ति हेतु ई–निविदा सूचना 06/2020–21।

विश्वविद्यालय के परिक्षेत्र सीकर एवं झुंझुनूं की परीक्षा, 2021 की सामग्री की आपूर्ति एवं संग्रहण हेतु वाहन उपलब्ध कराने के लिए पंजीकृत ट्रेवल फर्मों/संस्थाओं/वाहन आपरेटर/ वाहन ठेकेदारों द्वारा ऑनलाइन ई–निविदा प्रस्तुत किये जाने वाला प्रपत्र।

1. निविदादाता का नाम एवं पूर्णपता ....
   ....
2. मालिक/साझेदार का नाम, जो लेनदेन करते हो ....
3. दूरभाष नम्बर (मोबाइल नम्बर सहित) ....
4. उपलब्ध कराये जाने वाले वाहनों का विवरण रजिस्ट्रेशन संख्या अन्य विवरण
   ....
5. मैनपावर का विवरण ....
6. स्थान जहां वाहन का निरीक्षण किया जा सके – विश्वविद्यालय कार्यालय
7. जी.एस.टी. पंजीकरण संख्या ....
8. आयकर पंजीकरण संख्या (PAN No.) ....
9. निविदा प्रपत्र शुल्क 1000/– डी.डी. नम्बर/बैकर्स चैक .... दिनांक ....
   कुलसचिव पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर के नाम देय।
10. बिड सिक्यूरिटी राशि 90000/– डी.डी. नम्बर/बैकर्स चैक .... दिनांक ....
    कुलसचिव पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर के नाम देय।
11. ई–प्रोसेसिंग फीस 500/– डी.डी. नम्बर/बैकर्स चैक .... दिनांक ....
    एम.डी.आर.आई.एस.एल, जयपुर के नाम देय।
12. निविदादाता फर्म को ब्लेक लिस्टेड नहीं होने का शपथ पत्र 100/– रू. नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प पर।
13. वाहन आपूर्ति करने हेतु कुशलता के स्तर के अनुसार अनुभवी वाहन चालक एवं उच्च श्रेणी के वाहन उपलब्ध कराने का शपथ पत्र 100/– नॉनजूडिशियल स्टाम्प पर (अनुलग्नक 'ब')
14. मैने/हमने उपरोक्त चाही गयी सूचना सही दी है। किसी भी वाहन के खिलाफ किसी भी न्यायालय में वाद लम्बित नहीं है। उपरोक्त सूचनाओं में कोई भी सूचना असत्य पाये जाने पर हमारी फर्म पूर्णतया जिम्मेदार होगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर

पंडितदीनदयालउपाध्याय शेखावाटीविश्वविद्यालय, सीकर(राज)
वेबसाईट: www.shekhauni.ac.in ई–मेल: reg.shekhauni@gmail.comदूरभाषनं.: 01572-232411

क्रमांक–प 98( )लेखा / खुली निविदा / 2020–21 / दिनांकः–

वित्तीय बिड प्रपत्र ई–निविदा क्रमांक– 06 / 2020–2021 हेतु

विश्वविद्यालय के परिक्षेत्र सीकर एवं झुंझुनूं की परीक्षा, 2021 की सामग्री की आपूर्ति एवं संग्रहण हेतु वाहन उपलब्ध कराने के लिए पंजीकृत ट्रेवल फर्मों / संस्थाओं / वाहन आपरेटर / वाहन ठेकेदारों द्वारा ऑनलाइन ई–निविदा हेतु वित्तीय बिड प्रपत्र –

1. निविदादाता / फर्म का नाम : ....

2. निविदादाता का पता : ....
....
....
....

3. मोबाईल / दूरभाष न. : ....

4. सेवा का प्रकार :–
विश्वविद्यालय के परिक्षेत्र सीकर एवं झुंझुनूं की परीक्षा, 2021 की सामग्री की आपूर्ति एवं संग्रहण हेतु वाहन उपलब्ध कराने के लिए पंजीकृत ट्रेवल फर्मों / संस्थाओं / वाहन आपरेटर / वाहन ठेकेदारों द्वारा ऑनलाइन ई–निविदा की दर ईप्रोक्योरमेंट वेबसाईट पर ऑनलाईन उपलब्ध निविदा सूचना की वित्तीय बिड (बीओक्यू–एक्सेल शीट) में निम्न प्रकार से ही भरी जाकर निविदा अपलोड की जावे–

क्र.स.	वाहन का प्रकार	विवरण	प्रस्तुत दरें
1	मिनी बस	सीकर एवं झुन्झुनू जिले के लिये परीक्षा सामग्री इत्यादि की आपूर्ति हेतु (प्रति कि.मी. दर सभी प्रकार के करों जी.एस.टी. आदि सहित)	रूपये
2	टेम्पो ट्रेक्स / क्रूजर / बंद बॉडी पिकअप	सीकर एवं झुन्झुनू जिले के लिये परीक्षा सामग्री इत्यादि की आपूर्ति हेतु (प्रति कि.मी. दर सभी प्रकार के करों जी.एस.टी. आदि सहित)	रूपये
3	इनोवा / स्विफ्ट डिजायर / स्कार्पियों / बोलेरो / इंडिगों आदि समस्त गाड़िया एसी सहित	(1) कार्यालय उपयोग हेतु मासिक आधार पर – प्रत्येक माह 2200 कि.मी. अथवा उससे कम दूरी के लिये मासिक दर प्रस्तुत करे एव। इसके अतिरिक्त वाहन चलने पर राजस्थान सरकार के वित्त विभाग के आदेशानुसार प्रति कि.मी. दर 9.00 रूपये का भुगतान किया जायेगा।(प्रति कि.मी. दर सभी प्रकार के करों जी.एस.टी. आदि सहित)	रूपये
		(2) उड़नदस्ता एवं अन्य कार्य हेतु प्रति कि.मी. दर प्रस्तुत करें। (प्रति कि.मी. दर सभी प्रकार के करों जी.एस.टी. आदि सहित)	रूपये

निविदादाता के हस्ताक्षर

निविदा शर्ते

1. निविदा फॉर्म का मूल्य प्रतिदाय (Refund) नहीं किया जावेगा। जो निविदा ऑनलाईन ई–निविदा में प्रस्तुत नहीं की जायेगी उन्हें नामंजूर किया जायेगा।
2. निविदादाता का पंजियन GST में होना आवश्यक है। पंजीयन की प्रति संलग्न करें।
3. वाहन किराये की दर संविदा हेतु केवल ऑनलाईन के माध्यम से दिनांक 26.03.2021 समय 3.00 पी.एम. तक ही **UPLOAD** की जा सकेगी। ऑफलाईन निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। निर्धारित दिनांक एवं समय के पश्चात प्राप्त निविदाऐं स्वीकार नहीं की जावेगी।
4. निर्धारित निविदा फार्म शुल्क, बिड सिक्योरिटी राशि का डी.डी. या बैंकर्स चैक, जो कुलसचिव, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर के नाम से देय हो तथा बिड प्रोसेसिंग फीस की राशि का डी.डी. या बैंकर्स चैक जो एम.डी. आर.आई.एस.एल. जयपुर के नाम देय हो एवं इन्हें दिनांक 26.03.2021 समय 5.00 पी.एम. तक व्यक्तिगत रूप से या रजिस्टर्ड डाक द्वारा कार्यालय में जमा करावें। उक्त तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त डी.डी. या बैंकर्स चैक स्वीकार नही किये जावेगें तथा तकनीकी निविदा अस्वीकार कर दी जावेगी।
5. निविदा शुल्क, बिड सिक्योरिटी राशि एवं बिड प्रोसेसिंग फीस के डी.डी. एवं बैंकर्स चैक जमा के अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
6. वाहन चालकों का नाम एवं पता वाहन उपलब्ध कराते समय आवश्यक रूप से उपलब्ध कराने होगें।
7. इस कार्यालय को परीक्षा कार्य हेतु सामग्री आपूर्ति एवं संग्रहण तथा कार्यालय प्रयोग के लिये अनुमानित रूप से 6 मिनी बस, 5 टेम्पो ट्रेक्स/क्रुजर/बंद बॉडी पिकअप एवं 5 इनोवा/स्विफ्ट डिजायर/स्कार्पियों/बोलेरो/इंडिगों आदि गाड़ियां ए.सी. सहित की आवश्यकता रहेगी। इसे आवश्यकता अनुसार कम या अधिक किया जा सकता है। ई–निविदा प्रस्तुत करते समय उपलब्ध कराने वाले वाहनों के रजिस्ट्रेशन एवं बीमा की प्रति संलग्न करना आवश्यक है। यदि वाहन रजिस्ट्रेशन व बीमा की प्रति संलग्न नहीं की जावेगी तो निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
8. उड़नदस्ते हेतु उपलब्ध कराने वाले वाहनों में दो वाहन विश्वविद्यालय परिसर एवं दो वाहन आर.आर.मुरारका स्नातकोत्तर महाविद्यालय, झुंझुनूं में उपलब्ध कराने होगें तथा उनकी दूरी की गणना उक्त स्थानों से ही की जावेगी।
9. निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर डिजीटल हस्ताक्षर करेगा तथा निविदा के समस्त निर्बंधनों व शर्तों को स्वीकार करने का उल्लेख कर प्रमाण के रूप में डिजीटल हस्ताक्षर करेगा।
10. उपरोक्तानुसार प्राप्त दरें 31.03.2022 तक मान्य होगी एवं कार्य संतोषजनक होने पर सफल निविदादाता की सहमति से उक्त अवधि को नियमानुसार बढ़ाया भी जा सकता है।
11. **दर स्पष्ट शब्दों एवं अंकों मे लिखे, त्रुटि व उपरिलेखन नहीं होगा। कोई सुधार करना हो तो स्पष्ट काट कर पुनः लिखें व लघु हस्ताक्षर करें।**
12. दरें सामग्री के लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित कार्यालय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर, कटराथल, सीकर के से गन्तव्य स्थान तक एवं वापस विश्वविद्यालय मुख्यालय परिसर तक एफ. ओ. आर. प्रस्तुत की जानी है। जिसमें अनुषांगिक प्रभारों को शामिल करना चाहिए किन्तु, जी.एस.टी. को शामिल न करके अलग से दर्शायें। अलग से कार्यालय द्वारा गाड़ी भाड़ा/परिवहन प्रभारों का भुगतान नहीं किया जायेगा।
13. वाहन एवं वाहन चालक से संबंधित नियमानुसार सभी आवश्यक मूल दस्तावेज वाहन के साथ होने आवश्यक हैं।
14. वाहन चालक एवं स्टाफ के लिए अलग से कोई प्रभार देय नहीं होगा।
15. परिवहन विभाग में वाहन का नियमानुसार पंजीयन आवश्यक है।
16. वाहन परीक्षण के दौरान या कार्यावधि के दौरान अनुमोदन के अनुसार नहीं पाये जाने पर कार्यादेश निरस्त कर दिया जायेगा तथा निविदा दाता स्वयं के खर्चे पर अन्य वाहन उपलब्ध करवायेगा, यदि तात्कालिक आवश्यकता के कारण वाहन को पूर्ण या आंशिक रूप से बदलना साध्य नहीं हो पाया, तो निविदा दाता को सुनवाई का उचित अवसर देकर ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे। अनुमोदित दरो में से उपयुक्त राशि की कटौती शास्ति के रूप में की जायेगी, जो अंतिम होगी।
17. आदेश की तारीख से 5 दिवस में वाहन की भौतिक रूप से उपलब्धता कार्यालय में दर्शानी होगी
18. यदि निविदा सूचना में दर्शित मात्रा के अतिरिक्त अन्य वाहन हेतु भी फर्म को आदेश दिया जाता है, तो निविदा दाता वाहन उपलब्ध करवाने के लिये बाध्य होगा। यदि निविदा दाता वाहन उपलब्ध नहीं करवाता है तो विश्वविद्यालय वाहन किराये पर लेने के लिये स्वतंत्र होगा तथा जो भी अतिरिक्त लागत व्यय होगी उसकी वसूली निविदा दाता से की जायेगी।
19. उपापन अधिकारी निर्दिष्ट संख्या से कम वाहन किराये पर लेते हैं तो किसी भी प्रकार की क्षति पूर्ति देय नहीं होगी।
20. असफल बोलीदाताओं की बयाना/धरोहर राशि निविदा अंतिम रूप से स्वीकार करने के बाद यथाशीघ्र लौटायी जायेगी। केन्द्र/राज्य सरकार के उपक्रमों को बयाना राशि की छूट होगी। अन्य के लिये बयाना राशि में छूट जी.एफ.एण्ड ए. आर. नियमों के अन्तर्गत ही देय होगी।
21. बयाना राशि निम्नलिखित मामलो में समपहृत कर ली जायेगी–

    (अ) जब निविदा दाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने से पूर्व प्रस्ताव को वापस

लेता है या उसमें रूपांतरण करता है।

(ब) जब निविदा दाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार, शर्त को निष्पादित नहीं करता है।

(स) जब निविदा दाता प्रदायगी के लिये आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं करवाता है।

(द) जब वह विहित समय के भीतर प्रदाय आदेशों के अनुसार वाहन उपलब्ध करवाने में असफल रहता है।

22. सफल निविदादाता को कार्यादेश जारी होने के पश्चात निविदा मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर परफोरमेंस सिक्यूरिटी 15 दिवस में जमा करानी होगी, बयाना राशि इसके लिये समायोजित की जा सकेगी। प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। प्रतिभूति– बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक से जमा करायी जा सकती है।

23. प्रतिभूति राशि अनुबन्ध अवधि के समाप्ति के पश्चात विश्वविद्यालय की समस्त बकाया वसूली होने पर यथाशीघ्र लौटा दी जावेगी।

24. केन्द्र/राज्य सरकार के उपक्रम प्रतिभूति राशि जमा कराने से मुक्त होंगें।

25. प्रतिभूति राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्न मामलों में समपहृत/जब्त किया जा सकेगा।

(अ) निविदा के किन्ही निर्बंधनों और शर्तों का उल्लंधन किया हो।

(ब) सम्पूर्ण प्रदाय संतोषजनक रूप से करने में निविदादाता असफल रहा हो।

(स) समपहृत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जायेगा एवं विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम होगा।

26. वाहन उपलब्ध करवाये जाने के समय वाहन उत्तम गुणवता का होना अनिवार्य है। यदि इसके अनुरूप नहीं हो तो अधोहस्ताक्षर कर्ता वाहन स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं होगा। वाहन आपूर्ति करने हेतु कुशलता के स्तर के अनुसार अनुभवी वाहन चालक एवं उच्च श्रेणी के वाहन उपलब्ध कराने का शपथ पत्र 100/– नॉनजूडिशियल स्टाम्प पर (अनुलग्नक 'ब')

27. निविदादाता को राज्य सरकार/सरकारी उपक्रम/विश्वविद्यालय/अन्य राज्य सरकार/उपक्रम द्वारा ब्लेक लिस्टेड नहीं किया गया हो। संलग्न प्रारूप में 100 रूपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करें।

28. निविदादाता के पास कम से कम तीन मिनी बस एवं एक पिकअप/टैम्पोंट्रेक्स /क्रुजर स्वयं के नाम से होनी चाहिए। जिसका रजिस्ट्रेशन निविदा के साथ संलग्न करें। इसके अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।

29. निविदादाता को किसी राजकीय विभाग/विश्वविद्यालय/सार्वजनिक उपक्रम में वाहन उपलब्ध करवाने का गत तीन वर्षों का कार्यानुभव आवश्यक है एवं गत तीन वर्षों में औसत टर्न ओवर रूपये 20,00,000/– प्रति वर्ष आवश्यक है। संबंधित विभाग द्वारा जारी कार्यानुभव प्रमाण पत्र की प्रति एवं टर्न ओवर हेतु आयकर रिटर्न/ऑडिटेड अकाउंट्स की प्रति संलग्न करें। इसके अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

30. शर्त सहित निविदा प्रस्तुत करने पर निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।

31. कार्य समाप्ति तक वाहनों में होने वाली किसी भी क्षति/खराबी की पूर्ति के लिए संबंधित फर्म निविदादाता स्वयं जिम्मेदार होगा एवं तुरन्त प्रभाव से दूसरा वाहन उपलब्ध करवाना फर्म की जिम्मेदारी होगी।

32. यदि वाहन त्रुटिपूर्ण हो तो उन्हें बदल कर दूसरा वाहन निविदादाता तुरन्त प्रभाव से उपलब्ध करवायेगा एवं तत्काल वाहन उपलब्ध नहीं करवाने पर शास्ति प्रतिदिन न्यूनतम 150 किमी. की दर से कटौती की जावेगी।

33. कार्य के दौरान उपयुक्त नहीं पाये जाने पर वाहन को हटा दिया जायेगा तथा निविदादाता स्वयं के खर्चे पर दूसरा वाहन उपलब्ध करवायेगा।

34. वाहनों से अधिकारी संतुष्ट नहीं है, तो निविदादाता को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के बाद किसी भी समय कार्यादेश निरस्त कर सकता है, जिनके कारणों को अभिलिखित करेगा।

35. आदेश की तारीख से 07 दिन में सफल निविदादाता वाहनों के बीमा, फिटनेश, टेक्स, रजिस्ट्रेशन, लाईसेन्स, प्रदूषण प्रमाण पत्र एवं वाहन तथा वाहन चालक से संबंधित अन्य आवश्यक दस्तावेज कार्यालय में प्रस्तुत करेगा एवं वाहनों की भौतिक रूप से उपस्थिति निश्चित करेगा ताकि संबंधित अधिकारी वाहनों का निरीक्षण कर संतुष्ट हो सके।

36. वाहनों के कार्यालय तक पहुंचने का कोई प्रभार देय नहीं होगा।

37. सभी दरें सभी प्रकार के कर एवं शुल्क सहित होगी। निविदादाता द्वारा क्रम संख्या 1 मिनी बस, क्रम संख्या 2 टेम्पो/क्रुजर/बंद बॉडी पिकअप एवं क्रम संख्या 3 इनोवा/स्विफ्ट डिजायर/स्कार्पियों/बोलेरो/इंडिगों आदि समस्त गाड़िया एसी सहित की पृथक–पृथक दरें प्रस्तुत की जायेगी। उपापन समिति द्वारा इन समग्र दरों के आधार पर एवं अपने विवेकाधिकार के अधीन न्यूनतम दर का निर्धारण किया जायेगा।

38. किलोमीटर एवं समय की गणना विश्वविद्यालय कैम्पस से होगी एवं दिन की गणना विश्वविद्यालय में वाहन उपलब्ध करवाने के समय से 24 घंटों के हिसाब से की जावेगी।

39. वाहन उपयोगकर्ता द्वारा अनिवार्य रूप से वाहन के साथ लॉग बुक व ड्यूटी स्लिप रखनी होगी तथा नियमित रूप से भरनी होगी एवं बिल के साथ प्रस्तुत करनी होगी।

40. लॉग बुक में एक केन्द्र/स्थान से दूसरे केन्द्र/स्थान का हवाला देते हुए किलोमीटर्स का स्पष्ट ब्यौरा प्रयोगकर्ता को वाहन चालक के सहयोग से देना होगा और परीक्षा नियंत्रक से सत्यापित करवाना होगा।

41. वाहन चालक द्वारा निर्धारित ड्यूटी स्लिप एवं लॉग बुक रखनी होगी, जिसे प्रयोगकर्ता द्वारा भरनी होगी एवं प्रयोगकर्ता द्वारा नाम व पद भरकर हस्ताक्षर करने होंगे।

42. भुगतान के लिए बिल प्रस्तुत करते समय तीन प्रतियों में ड्यूटी स्लिप एवं लॉग बुक की प्रमाणित फोटोप्रति प्रस्तुत करनी होगी।

43. परीक्षा नियंत्रक/उप कुलसचिव/सहायक कुलसचिव/अनुभागाधिकारी की लिखित अथवा दूरभाष अनुमति के बिना सफल निविदादाता द्वारा किसी को भी वाहन उपलब्ध नहीं कराये जायेंगे। इसके अभाव में विश्वविद्यालय भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

44. निविदा अवधि के दौरान डीजल की दरें बढ़ने की स्थिति में कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा।

45. कार्य के संतोषजनक होने पर ही, निविदा दाता द्वारा बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जायेगा, अग्रिम नहीं।

46. विवादास्पद मामलो के संबंध में भुगतान 10 से 25 प्रतिशत तक रोका जायेगा, जो विवाद के निपटारे पर भुगतान कर दिया जायेगा।

47. **सफल निविदादाता को दर अनुमोदन की सूचना देने की दिनांक से अधोहस्ताक्षरकर्ता के साथ 15 दिवस में नियमानुसार स्टाम्प पर अनुबन्ध करना होगा।**

48. विश्वविद्यालय न्यूनतम दर वाली निविदा को स्वीकार/ अस्वीकार करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा।

49. निविदा दाता निविदा प्रस्तुत करते समय निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करेगा– (1) साझेदारी फर्म हो तो साझेदारी डीड (2) यदि साझेदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्मस् के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या और उसका वर्ष (3) एकल स्वामित्व के नाम हो तो आवास एवं कार्यालय का पता व फोन नम्बर (4) कम्पनी के मामलो में कम्पनी रजिस्ट्रार द्वारा जारी प्रमाण पत्र।

50. वाहन आपूर्ति कर्ता फर्म द्वारा उपलब्ध वाहन पूर्ण रूप से सड़क एवं मिट्टी पर चलने में सक्षम एवं वैध होना आवश्यक है। बीमा, फिटनेश, टेक्स, रजिस्ट्रेशन, लाईसेन्स, प्रदूषण प्रमाण पत्र एवं वाहन तथा वाहन चालक से संबंधित अन्य आवश्यक मूल दस्तावेज वाहन के साथ हर समय होने आवश्यक है, इनके अभाव में वाहन को अस्वीकार कर दिया जायेगा।

51. मुख्यालय से बाहर रात्रि 10 बजे बाद विश्राम पर रू. 200/– अतिरिक्त भुगतान देय होगा।

52. टोल टैक्स की रसीद प्रस्तुत करने पर टोल अलग से देय होगा।

53. फर्म/व्यक्ति द्वारा निविदा प्रपत्र में GST/TIN/PAN नम्बर स्पष्ट दर्शाना होगा।

54. कार्य निविदा प्रपत्र की शर्तों व निर्देशों के अनुसार निर्धारित समय सीमा में पूर्ण गोपनीयता के साथ करना होगा। गोपनीयता भंग करने की दशा में भुगतान देय नहीं होगा।

55. किराये की दरों में सभी प्रकार के कर व खर्चे सम्मिलित होने चाहिए।

56. रविवार अथवा अवकाश के दिन भी विश्वविद्यालय को आवश्यकतानुसार सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार वाहन उपलब्ध करवाना होगा।

57. गाड़ी उपयोग में नहीं लिए जाने पर किसी प्रकार का कोई प्रभार नहीं दिया जायेगा।

58. वाहन चालक बदलने की स्थिति में सूचना परीक्षा नियंत्रक को देनी होगी।

59. वाहन की सुरक्षा, रख–रखाव व अन्य सम्पूर्ण जिम्मेदारियां जैसे वाहन संचालन, खड़ा करना आदि निविदादाता की होगी।

60. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिये गए निर्देशों का अक्षरशः पालन करना होगा।

61. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आदेश मिलते ही वाहन समय से आधा घण्टा पूर्व निर्धारित स्थान पर उपलब्ध करवाना होगा। साथ ही वाहन हर समय व हर प्रकार से तैयार रखना होगा तथा समय की पाबन्दी का पालन करना होगा।

62. स्त्रोत पर जी.एस.टी./टी.डी.एस. आदि की कटौती नियमानुसार सफल निविदादाता के बिलों से की जायेगी।

63. जिस दिन वाहन को विश्वविद्यालय द्वारा बुलाया जायेगा उसी दिन का भुगतान किया जायेगा अन्यथा नहीं।

64. कार्यालय उपयोग में लिए जाने वाले वाहन की दर प्रत्येक माह 2200 किलोमीटर अथवा उससे कम दूरी के लिए मासिक दर प्रस्तुत करें। वाहन 2200 किलोमीटर से अधिक चलने पर राजस्थान सरकार के वित्त विभाग के आदेश क्रमांक F.2 (4)FD/SPFC/2017 jaipur dated 28-02-2019 के अनुसार 9.00 रू. प्रति कि.मी. दर से भुगतान किया जायेगा। यदि राज्य सरकार दरों में संशोधन करती है तो उसी के अनुरूप दर लागू होगी।

65. विवाद की दशा में न्याय क्षेत्र सीकर ही रहेगा।

कुलसचिव

अनुलग्नक–"अ"
सत्यनिष्ठा की संहिता

उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति, –

(क) उपापन प्रक्रिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रिश्वत, इनाम या दान या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तात्विक फायदेका कोई प्रस्ताव नहीं करेगा;

(ख) सूचना का ऐसा दुर्व्यपदेशन या लोप नहीं करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिप्राप्त करने के लिए या किसी बाध्यता से प्रविरत रहने के लिए गुमराह करता हो या गुमराह करने का प्रयास करता हो;

(ग) उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए किसी भी दुरभिसंधि, बोली में कूट मूल्य वृद्धि या प्रतियोगिता विरोधी आचरण में लिप्त नहीं होगा;

(घ) उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गयी किसी भी जानकारी का उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से दुरूपयोग नहीं करेगा;

(ड) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान पहुंचाने, ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीडन में लिप्त नहीं होगा;

(च) उपापन प्रक्रिया के किसी भी अन्वेषण या लेखापरीक्षा में बाधा नहीं डालेगा;

(छ) हित का विरोध, यदि कोई हो, प्रकट करेगा;

(ज़) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्व नियमभंग को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन को प्रकट करेगा; हित का विरोध

हित का विरोध

कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रक्रिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियां सम्मिलित हैं किन्तु इन तक सीमित नहीं है यदि,–

(क) उनके समान नियंत्रक भागीदार है;

(ख) वे उनमें से किसी से, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायिकी प्राप्त करते हैं या प्राप्त की है;

(ग) उनका उस बोली के प्रयोजनों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है ;

(घ) उनका प्रत्यक्ष रूप से या समान तृतीय पक्षकारों के मार्फत एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है जो दूसरे की बोली के बारे में सूचना तक पहुंचने या दूसरे की बोली पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता हो;

(ङ) कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रक्रिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है। तथापि, यह एक ही उपसंविदाकार को एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित नहीं करता है जो बोली लगाने वाले के रूप में अन्यथा भाग नहीं लेता है;

(च) बोली लगाने वाले या उससे सहबद्ध किन्हीं व्यक्तियों ने बोली प्रक्रिया के उपापन की विषयवस्तु के डिजाइन या तकनीकी विनिर्देशों को तैयार करने में सलाहकार के रूप में भाग लिया है। सभी बोली लगाने वाले अर्हता कसौटी और बोली प्ररूपों में यह विवरण उपलब्ध करायेंगे कि बोली लगाने वाला उस सलाहकार या किसी भी अन्य संस्था, जिसने उपापन की विषयवस्तु के लिए डिजाईन, विनिर्देश और अन्य दस्तावेज तैयार किये हैं, के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में न तो संबद्ध है और नहीं संबद्ध रहा है या संविदा के लिए परियोजना प्रबन्धक के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

अनुलग्नक ''ब''

निविदादाता द्वारा दिया जाने वाला घोषणा पत्र

आप द्वारा आमंत्रित निविदा क्रमांक..................दिनांक......................के तहत मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत निविदा के संदर्भ में हम राजस्थान लोक उपापन पारदर्शीता अधिनियम, 2012 के खंड 7 के अतंर्गत यह घोशणा करते है कि

01. मै/हम निविदा दस्तावेजों के अनुसार वांछित अनुभव, तकनीकी, वित्तिय, प्रबंधकीय संसाधन की सक्षमता रखते है ।
02. मै/हम निविदा अनुसार केन्द्र/राज्य सरकार/अन्य स्थानीय अधिकार को कर चुकाने बाबत दायित्व लेते है ।
03. मैं/हम ना ही दिवालिया घोशित किया गया है, तथा ना ही मेरी/हमारी फर्म के विरुद्ध न्यायालय/न्यायिक अधिकारी द्वारा कोई वैधानिक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।
04. मैं/हम तथा हमारे निदेशक/अधिकारियों द्वारा निविदा प्रक्रिया के दौरान गत तीन वर्षों में किसी प्रकार का कोई अपराध संबंधी मामला दर्ज नहीं है तथा किसी भी निविदा प्रकिया से निष्कासित नही किया गया है ।
05. मै/हमारे द्वारा अधिनियम, नियमों के संदर्भ में किसी प्रकार के हित का कोई विरोध नहीं है जो कि उचित प्रतियोगिता को प्रभावित करता हो ।

स्थान : ....
तारीख : ....

निविदादाता के हस्ताक्षर

<u>अनुलग्नक "स"</u>

निविदा प्रकिया के दौरान शिकायत निवारण

प्रथम अपीलय अधिकारी का पद एवं पता.............**कुलसचिव** पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर

द्वितीय अपीलय अधिकारी का पद एवं पता.............कुलपति पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर

1. यदि कोई बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला इस बात से व्यथित है कि उपापन संस्था कोई निर्णय, कार्यवाही या लोप इस अधिनियम या इसके अधीन जारी नियमों या मार्गदर्शनों के उपबंधों के उल्लंघन में हे तो वह उपापन संस्था के ऐसे अधिकारी को, जिसे इस प्रयोजन के लिये पदभिहित किये जाये, विनिर्दिष्ट आधार, जिस पर या जिन पर वह व्यथित है, स्पष्ट रूप से देते हुये, ऐसे विनिश्चिय या कार्यवाही या, यथास्थिति, लोप की तारिख से 10 दिन की अवधि या ऐसी अन्य अवधि, जो पूर्व –अर्हता दस्तावेजो या बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट की जाये, के भीतर अपील दाखिल कर सकेगाः
परन्तु धारा 27 के निबन्धनों में बोली लगाने वाले के सफल होने की घोशणा के पश्चात अपील केवल उस बोली लगाने वाले द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसने उपापन कार्यवाहीयों में भाग लिया हैः

   परन्तु यह और की ऐसी दशा में उपापन संस्था वितिय बोली को खोलन से पूर्व तकनीकी बोली का मुल्यांकन करती है, वहा वितिय बोली के मामले से सबंधित अपील केवल उस बोली लगाने वाले के द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसकी तकनीकी बोली स्वीकार्य होने वाली पायी जाती है ।

1. अधिकारी, जिसके समक्ष उपधारा – 1 के अधीन अपील दाखिल की गयी, है अपील पर यथासंभव श्ग्रिध विचार करेगा और अपील दाखिल करनी की तारिख से 30 दिवस के भीतर इसे निपटाने का प्रयास करेगा ।
2. यदि उपधारा 01 के अधीन पदभिहित अधिकारी उपधारा 3 में विनिदिष्ट अवधि के भीतर उक्त उपधारा के अधीन दाखिल अपील को निपटाने में असफल हो जाता है या यदि बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या उपापन संस्था उपधारा 2 के अधीन पारित आदेश से व्यथित हे तो बोली लगाने वाला या, या भावी बोली लगाने वाला या यथास्थिति उपापन संस्था, उपधारा 3 में विनिदिष्ट अवधि के आवासन से या, यथास्थिति उपधारा 2 के अधीन पारित आदेश की प्राप्ति की तारिख से 15 दिवस के भीतर राज्य सरकार द्वारा इस निमित पदभिहित किसी अधिकारी या प्राधिकारी को द्वितिय अपील दाखिल कर सकेगा ।
3. धारा 38 के अधीन उपापन संस्था के निम्नलिखित मामलो से संबंधित किसी विनिश्चय के विद्वध कोई अपील नहीं होगा ।
   अर्थातः
   कः उपापन की आवश्यकता का अवधारण
   ख बोली प्रकिया में बोली लगाने वालों के भाग लेने को सीमित करने वाले उपबंध
   ग. यह विनिश्यक की निबंधनो में बातचीत की जाये या नहीं
   घ. निबन्धनों में उपापन प्रकिया का रद्दकरण
   ड. गोपनीयता के उपबंधों का लागू होना ।
4. **अपील का प्ररूप**.– (1) धारा 38 की उप–धारा (1) या (4) के अधीन कोई अपील प्ररूप में उतनी प्रतियों के साथ होगी जितने कि अपील में प्रत्यर्थी हैं।
   (2) प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरूद्ध अपील की गयी है, यदि कोई हो, अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संदाय के सबूत के साथ होगी।

(3) प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी को व्यक्तिशः या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।

अपील फाइल करने के लिए फीस.–

(1) प्रथम अपील के लिए फीस दो हजार पांच सौ रुपये और द्वितीय अपील के लिए दस हजार रुपये होगी जो अप्रतिदेय होगी।

(2) फीस का संदाय किसी अधिसूचित बैंक के बैंक मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में किया जायेगा जो संबंधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा।

5. **अपील के निपटारे की प्रक्रिया.–**

(1) प्रथम अपील प्राधिकारीया, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी अपील फाइल किये जाने पर प्रत्यर्थी को अपील, शपथ पत्र और दस्तावेजों, यदि कोई हो, की प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा और सुनवाई की तारीख नियत करेगा।

(2) सुनवाई के लिए नियत तारीख को प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी,–

(क) उसके समक्ष उपस्थित अपील के समस्त पक्षकारों की सुनवाई करेगा; और

(ख) मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों का अवलोकन या निरीक्षण करेगा।

(3) पक्षकारों की सुनवाई, मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों के अवलोकन या निरीक्षण के पश्चात्, संबंधित अपील प्राधिकारी लिखित में आदेश जारी करेगा और अपील के पक्षकारों को उक्त आदेश की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायेगा।

(4) उप नियम (3) के अधीन पारित आदेश राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जायेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

प्रारूप सं. 1

(नियम 83 देखिए)

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के अधीन अपील

का ज्ञापन

.... की अपील सं. ....
(प्रथम/द्वितीय अपील प्राधिकारी) .... के समक्ष
1. अपीलार्थी की विशिष्टियां :
(i) अपीलार्थी का नाम :..
(ii) कार्यालय का पता, यदि कोई हो :...
(iii) आवासिक पता :
2. प्रत्यर्थी (प्रत्यर्थियों) का नाम और पता :
(i)
(ii) .
(iii)
3. आदेश का संख्यांक और तारीख जिसके विरूद्ध अपील की गयी है और अधिकारी/प्राधिकारी का नाम और पदनाम, जिसने आदेश पारित किया है, (प्रतिलिपि संलग्न करें) या अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में उपापन संस्था के किसी विनिश्चय, कार्य या लोप का विवरण जिससे अपीलार्थी व्यथित है :
4. यदि अपीलार्थी किसी प्रतिनिधि द्वारा प्रतिनिधित्व किये जाने के लिए प्रस्ताव करता है तो प्रतिनिधि का नाम और डाक का पता :
5. अपील के साथ संलग्न किये गये शपथपत्रों और दस्तावेजों की संख्या :
6. अपील का आधार :
....
....
....
.... (शपथपत्र द्वारा समर्थित)
भाग 4 (ग) राजस्थान राज–पत्र, जनवरी 24, 2013 155(69)
7. प्रार्थना : ....
....
....
स्थान : ....
तारीख : ....
अपीलार्थी के हस्ताक्षर

निविदा की अतिरिक्त शर्ते

1. **वित्तीय बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार**

बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर,सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी, अर्थात् :–

(क) इकाई मूल्य और कुल मूल्य, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो इकाई मूल्य अभिभावी होगा और कुल मूल्य में सुधार किया जायेगा, जब तक कि बोली मूल्यांकन समिति की राय में इकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गयी है, ऐसे मामले में उत्कथित कुल

मूल्य प्रभावी होगा और इकाई मूल्य में सुधार किया जायेगा ;

(ख) यदि योग के घटकों को जोडने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक अभिभावी होंगे योग में सुधार किया जायेगा ; और

(ग) यदि शब्दों और अंकों के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गयी रकम तब तक अभिभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो, ऐंसे मामले में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यधीन रहते हुए अंकों में अभिव्यक्त रकम अभिभावी होगी।

2. **किसी या समस्त बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का उपापन संस्था का अधिकार.–** उपापन संस्था बोली लगाने वालों के प्रति किसी उत्तरदायित्व को उपगत किये बिना, किसी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने, और बोली प्रक्रिया को रद्द करने और संविदा के अधिनिर्णय से पूर्व किसी भी समय, समस्त बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। ऐसा करने के कारण लेखबद्ध किये जायेंगे।

परिमाण में परिवर्तन का अधिकार.–

(1) संविदा के अधिनिर्णयके समय, बोली दस्तावेजों में मूलतः विनिर्दिष्ट माल, संकर्मों या सेवाओं के परिमाण में बढ़ोतरी की जा सकेगी, किन्तु ऐसी बढ़ोतरी बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट परिमाण के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। यह बोली और बोली दस्तावेजों के इकाई मूल्यों या अन्य निबंधनों और शर्तों में किसी परिवर्तन के बिना होगी।

(2) यदि उपापन संस्था परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण उपापन की कोई विषयवस्तु उपाप्त नहीं करती है या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट परिमाण से कम उपाप्त करती है तो बोली लगाने वाला बोली दस्तावेजों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दावे या प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(3) अतिरिक्त मदों या अतिरिक्त परिमाणों के लिए पुनरादेश, यदि यह बोली दस्तावेजों में उपबंधित हो,

संविदा में दी गयी दरों और शर्तों पर दिये जा सकेंगे यदि मूल आदेश खुली प्रतियोगी बोलियां आमंत्रित करने के पश्चात् दिया गया था। प्रदाय या पूर्ण होने की कालावधि भी आनुपातिक रूप से बढायी जा सकेगी। पुनरादेश की सीमाएं निम्नलिखित होंगी –

(क) संकर्मों की दशा में व्यष्टिक मदों की मात्रा का 50 प्रतिशत और मूल संविदा के मूल्य का 20 प्रतिशत और

(ख) मूल संविदा के माल या सेवाओं के मूल्य का 25 प्रतिशत।

3. . अधिनिर्णय के समय एक से अधिक बोली लगाने वालों के बीच परिमाणों का विभाजन.–
सामान्य नियम के रूप में उपापन की विषयवस्तु के समस्त परिमाण उस बोली लगाने वाले से उपाप्त किये जायेंगे जिसकी बोली स्वीकार की गयी है। तथापि, जब यह समझा जाये कि उपाप्त की जाने वाली उपापन की विषयवस्तु का परिमाण बहुत अधिक हैं और इस सम्पूर्ण परिमाण का प्रदाय करना उस बोली लगाने वाले की क्षमता में नहीं हो सकेगा जिसकी बोली स्वीकार की गयी हैं या जब यह समझा जाये कि उपाप्त की जाने वाली उपापन की विषयवस्तु गम्भीर और महत्वपूर्ण प्रकृति की है तो ऐसे मामलों में परिमाण को उस बोली लगाने वाले, जिसकी बोली स्वीकार की गयी है और द्वितीय निम्नतम बोली लगाने वाले या उसी क्रम में और भी बोली लगाने वालों के बीच, उस बोली लगाने वाले की दरों पर, जिसकी बोली स्वीकार की गयी है, ऋजु, पारदर्शी और साम्यापूर्ण रीति से विभाजित किया जा सकेगा, यदि ऐसी शर्त बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट है। स्वीकार्य कीमत पर पहुंचने के लिए प्रथम निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 1) को किया गया प्रति–प्रस्ताव बातचीत के समान होगा। तथापि, परिमाणों के विभाजन की दशा में, जैसा बोली दस्तावेजों में पहले से प्रकट किया गया हो, तत्पश्चात् द्वितीय निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 2), तीसरे निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 3) इत्यादि (एल 1 द्वारा स्वीकार की गयी दरों पर) को किया गया प्रति–प्रस्ताव बातचीत नहीं समझा जायेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील